कार्यालय सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक उ0प्र0परिवहन निगम गंगोह डिपो।

पत्राक 2225 /स0क्षे0प्र0/गंगोह/संचा0/स्टाफकार/टेण्डर/018 दिनॉक 10.09.2018

टेण्डर–सूचना

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में स्टाफकारो की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से निदेशक मण्डल की 184 वीं बैठक दिनॉक 29.12.2013 के मद संख्या 17 में प्रस्तुत प्रस्ताव में मासिक किराये के आधार पर निजी वाहनो को सम्बद्ध करने का अनुमोदन किया गया है। उक्त अनुमोदन के परिपेक्ष में स्टाफकारो की कमी के दृष्टिगत क्षेत्रों/इकाईयों को मासिक किराये के आधार पर निम्न नियम व शर्तो के अर्न्तगत वाहन सम्बद्ध करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

शर्ते

1.आलोच्य वाहन का उपयोग अधोहस्ताक्षरी के द्वारा किया जायेगा।

2.निविदाकर्ता द्वारा टाटासूमों, महिन्द्रा बोलेरो, स्विफ्ट डिजायर अथवा इसके समकक्ष वाहन तीन वर्ष के लिए अनुबन्ध की जायेगी।

3. अनुबन्ध की जाने वाली वाहन की आयु , अनुबन्ध की अवधि मे अधिकतम 5 वर्ष (कमीशन की तिथि से)की होनी चाहिये ।

4. अनुबन्ध की जाने वाली वाहन टैक्सी परमिट से आच्छादित होनी चाहिए।

5. वाहन से मासिक 1500 कि0मी (बोलेरा)/1800 कि0मी0 (स्विफ्ट डिजायर व समकक्ष) संचालित कराया जायेगा तथा रूपये 30000/– किराया जिसमे ईधन , चालक का वेतन/भत्ता , वाहन की मरम्मत, बीमा , रोड टैक्स, फिटनेस, परमिट,सर्विस टैक्स एवं अन्य सभी कर निविदाकर्ता द्वारा वहन किये जायेगे/ भुगतान किया जायेगा ।

6. वाहन से किसी प्रकार की दुर्घटना होने तथा वाद उत्पन्न होने पर सम्पूण उत्तदायित्व निविदाकर्ता का होगा।

7.वाहन का माइलोमीटर प्रमाणित एवं चालू हालत मे होना चाहिए।

8.निविदाकर्ता द्वारा लगाये गये वाहन के खराब होने की सूचना प्राप्त हाने पर निविदाकर्ता द्वारा दूसरा वाहन सम्बन्धित निगम अधिकारी को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा

9. निविदाकर्ता द्वारा सम्बद्ध किये गये वाहन के चालक का पूर्ण विवरण , अवासीय पता, मोबाईल फोन नम्बर , चालक का डाइविग की लाईसेंस की प्रमाणित फोटो प्रति सम्बन्धित अधिकारी को उपलब्ध करायेगें।

10. निविदाकर्ता अथवा चालक को किसी प्रकार का कोई अग्रिम धन देय नही होगा।

11. वाहन का अनुबन्ध 3 वर्षो हेतु किया जायेगा तथा 3 वर्ष की अवधि पूरी होने पर पुन अनुबन्ध किया जायेगा

12. किराये पर ली गयी वाहन की लॉग बुक मे यात्रा का विवरण अंकित किया जायेगा तथा सत्यापन उपरान्त मासिक आधार पर निविदाकर्ता से बिल प्राप्त कर सम्बन्धित अधिकारी से सत्यपन उपरान्त क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा परीक्षणोपरान्त बिल की धनराशि का निगम मुख्यालय लखनऊ से भुगतान प्राप्त किया जायेगा। बिल की धनराशि से नियमानुसार आयकर एवं सरचार्ज की कटौती कर काटी गयी धनराशि को आयकर विभाग मे जमा करके प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

13.1500कि0मी मासिक से अधिक वाहन यदि संचालित करायी जाती है तो सम्बन्धित अधिकारी द्वारा सचांलन हेतु पूर्ण औचित्य दर्शाते हुए उसका अनुमोदन अपर प्रबन्ध निदेशक महोदय से किया जयेगा तथा तदानुसार भुगतान देय होगा।

14. निविदाकर्ता द्वारा उपलब्ध करायी गयी सेवाए संतोषजनक न पाये जाने पर परिवहन निगम द्वारा किसी भी समय अनुबन्ध समाप्त किया जा सकेगा ।

15. मासिक किराये पर लगाये जाने वाली वाहन हेतु टेण्डर प्रार्थना पत्र सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय उ0प्र0 परिवहन निगम गगोह डिपो मे दिनाकं 17.09.018 की अपराहन 14:00 बजे तक जमा कराये जा सकते है। टेण्डर दिनॉक 17.09.2018 को 15:00 बजे डिपो समिति द्वारा खोले जायेगे।

16–टेण्डर फार्म का मूल्य 105/– रू0 है,जो डिपो कैशियर से एक सौ पॉच रू0 जमा करा कर प्राप्त किया जा सकता है।

17–निविदादाता को निविदा फार्म के साथ पेनकार्ड की छायाप्रति स्वयं हस्ताक्षरित कर संलग्न करनी होगी व दूरभाष व मोबाईल न0 अंकित करना होगा।

सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक
उ0प्र0 परि0 निगम
गंगोह डिपो।

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–(ई0मेल द्वारा)

1– जिलाधिकारी महोदय सहारनपुर।

2– क्षेत्रीय प्रबन्धक उ0प्र0 परि0 निगम सहारनपुर को ई0मेल से।

3– सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (वित्त) उ0प्र0 परि0 निगम सहारनपुर।

4– सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक उ0प्र0 परि0 निगम सहारनपुर/ छुटमलपुर/मु0नगर / खतौली/शामली को इस अनुरोध के साथ कि टेण्डर –सूचना कों नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करे।

5– ऑफर निगम की बैवसाइट पर अंकित करने हेतु email id tender@upsrtc.com के माध्यम से परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

6– नोटिस बोर्ड गंगोह डिपो।

10/9/18

सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक
उ0प्र0 परि0 निगम
गंगोह डिपो।

Downloaded from www.upsrtc.com